

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 1129 / चार-प्रावि०/वनभूमि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2022-23,
सेवा में,

दिनांक 19/01/2023,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- **जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बूंगीधार मेहलचौरी बछुवावाण मोटर मार्ग के किमी० 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग हेतु 2.73 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/10762/2015)।**

सन्दर्भ:- 1:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8वी/यू०सी०पी०/०6/260/2016/एफ०सी०/1739, दि० 22.01.2018
2:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 995/FP/UK/ROAD/10762/2015 देहरादून दिनांक 01.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बूंगीधार मेहलचौरी बछुवावाण मोटर मार्ग के किमी० 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 182, दिनांक 06.06.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः संलग्न है।

अवगत कराना है, उक्त अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड द्वारा अपने उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रेषित की गई थी। जिस पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8वी/यू०सी०पी०/०6/40/2016/एफ०सी०/1609, दिनांक 21.10.2020 द्वारा निम्नानुसार कतिपय कमियां इंगित की गई है।

क्र० सं०	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या
1	CA area mentioned in Stage-I approval letter is Khinser but some other area details are mentioned in the certificate of DM. State Government may verify and submit the correct details	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि पूर्व में उक्त परियोजना के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि ग्राम खिन्सर में प्रस्तावित की गई थी, किन्तु उक्त भूमि उ० प्र० जंगल होने, क्षेत्र सघन होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त न होने के कारण उक्त भूमि का म्यूटेशन नहीं हो पाया है। उक्त के स्थान पर वर्तमान में प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक 3612/12-1, दिनांक 11.01.2022 द्वारा उक्त परियोजना हेतु Degraded Reserve forest land लोहवा रेंज के अन्तर्गत रामगंगा रिजर्व क०स० 12 में 5.46 हे० दोगुनी भूमि उपलब्ध कराई गई है।
2	State Government is requested to submit compliance with copy of Khatauni	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि बिन्दु संख्या 01 के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध कराई गई भूमि Degraded Reserve forest land है, इसलिए उक्त भूमि पर खतौनी की आवश्यकता नहीं है।

क्रमशः.....2

(2)

3	In compliance to condition no. 06. revised map of CA area as per KML file is not found uploaded. which is required to be done.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, इसलिए पार्ट-1 में KML file अपलोड किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 के अनुपालन में Digital Map of CA area की KML file सीडी0 के रूप में तैयार कर तीन प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
	In compliance to condition no. 07. only FRA submitted. State Government may submit the remaining documents as asked for vide point no. 07 of Stage-1 approval letter	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 07 के अनुपालन में FRA, Digital Map of CA, एवं CA Site Suitability पूर्व में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है।
	State Government may submit the CA scheme of Rs. 13,83,193.00 as per the amount deposited in the CAMPA fund	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग द्वारा प्राप्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना का संशोधित आंगणन रू0 13,83,193.00 मात्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उक्तानुसार इंगित कमियों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भादीय,
अधिसासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पो0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@Rediffmail.com

पत्रांक 182/चार-प्रावि०/वनभूमि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2018-19,
सेवा में,

दिनांक 06/06/2018

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-14 के अन्तर्गत बूंगीधार मेहलचौरी बछुवाबाण मोटर मार्ग किमी० 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.73 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06 /40/2016/एफ०सी०/1739, दि० 22.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा बूंगीधार मेहलचौरी बछुवाबाण मोटर मार्ग किमी० 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार तीन प्रतियों में आपकी सेवा में विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

बिन्दु संख्या 01:- भारत सरकार की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल पर 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु मु० 1383193.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से बैंक संख्या 491951, दि० 09.03.2018 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttaranchal SB/Ac No 15089, 6110762560 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13rd Floor Jeliita Tower mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)। शर्त संख्या 01 के अनुपालन में स्पूटेसन की कार्यवाही की जा चुकी है जिलाधिकारी चमोली द्वारा निर्गत नामान्तरण/हस्तान्तरण का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है (प्रति संलग्न)।

बिन्दु संख्या 02:- भारत सरकार की शर्त संख्या 02 के अनुपालन में एन०पी०बी० की देय धनराशि मु० 1793610.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से बैंक संख्या 491951, दि० 09.03.2018 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttaranchal SB/Ac No 15089, 6110762560 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13rd Floor Jeliita Tower mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

बिन्दु संख्या 03:- सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में एन०पी०बी० की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन०पी०बी० की धनराशि किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

बिन्दु संख्या 04:- भारत सरकार की शर्त संख्या 04 के अनुपालन में डिमान्ड नोट को ऑनलाईन कर सत्यापन एवं शर्त संख्या 01 और 02 की धनराशि मु० 3176803.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से बैंक संख्या 491951, दि० 09.03.2018 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttaranchal SB/Ac No 15089, 6110762560 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13rd Floor Jeliita Tower mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)। ऑनलाईन जमा धनराशि की प्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न)।

(2)


बिन्दु संख्या 05:- शैक्षणिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 के अनुपालन में सड़क के निर्माण के पश्चात जहाँ जहाँ सम्भव हो सके किनारों तथा Central Verge पर प्रयोगिता अधिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

बिन्दु संख्या 06:- शैक्षणिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 के अनुपालन में Revised Digital Map of CA संलग्न किया जा चुका है।

बिन्दु संख्या 07:- शैक्षणिक स्वीकृति की शर्त संख्या 07 के अनुपालन में FRA certificate, Digital map of CA, CA Scheme, CA Site suitability and Part-IV& V मूल प्रति में अपर प्रमुख एवं चोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया जा चुके हैं।

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर चोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

भवदीय,


अधिरासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वार्ड0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-14 के अन्तर्गत बूंगीधार-मेहलचौरी-बछुवाबाण मोटर मार्ग के किमी0 25 से स्यूंणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.730 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 5.460 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं0-08वीं/यू0सी0पी0/06/40/2016/एफ0सी0/1739 दिनांक 22.1.2018 की शर्त सं0-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी गैरसैण की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-14 के अन्तर्गत बूंगीधार-मेहलचौरी-बछुवाबाण मोटर मार्ग के किमी0 25 से स्यूंणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.730 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम स्यूंणी तल्ली प0वृ0 मेहलचौरी तहसील गैरसैण के ख0खा0 सं0-20 के खसरा सं0-96 रकवा 1.360 है0 मध्ये 1.280 है0, खसरा सं0-626 रकवा 0.490 है0 मध्ये 0.200 है0, खसरा सं0-642 रकवा 0.540 है0 भूमि मध्ये 0.380 है0 कुल 1.860 है0 भूमि, जो कि नॉन जेड ए श्रेणी-9(3) ग स्थाई पशुचर भूमि तथा चराई की दूसरी भूमियां के रूप में दर्ज है एवं ग्राम बीना प0वृ0 रोहिड़ा तहसील गैरसैण के ख0खा0 सं0-24 के खसरा सं0-11 रकवा 4.034 है0 मध्ये 3.600 है0 भूमि, जो कि नॉन जेड ए श्रेणी-9(3) ग स्थाई पशुचर भूमि तथा चराई की दूसरी भूमियां के रूप में दर्ज है, अर्थात् कुल 5.460 है0 भूमि को प्रस्तावित किया गया है। ख0खा0 सं0-20 के उक्त खसरा नम्बरानों में 2.390 है0 भूमि मध्ये 1.860 है0 भूमि प्रस्तावित करने के पश्चात् उक्त खसरा नम्बरानों में 0.530 है0 भूमि शेष रहती है, एवं ख0खा0 सं0-11 के उक्त खसरा नम्बर में 4.034 है0 भूमि मध्ये 3.600 है0 भूमि प्रस्तावित करने के पश्चात् उक्त खसरे में 0.434 है0 भूमि शेष रहती है, जो कि 05 प्रतिशत से अधिक है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0-2173/XVIII(III) /2012-18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 5076/छब्बीस-22 (2017-2018) गोपेश्वर: दिनांक: 17 मई, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, गैरसैण।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गैरसैण।

4/6/18
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 3075/12-1 गोपेश्वर, दिनांक 08-02-2018

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0,
कर्णप्रयाग।

विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बी0एम0वी0 (बूगीधार मेहलचौरी बछवावाण) मोटर मार्ग के किमी0 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.73 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/40/2016/एफ0सी0/1737 दिनांक 21.01.2018

महोदय,

भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के उपयुक्त संदर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार धनराशि हेतु मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है:-

1 शर्त सं0-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 5.46 है0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रू0 13,83,193.00 (रू0 तेरह लाख तिरासी हजार एक सौ तिरानवें) मात्र जमा की जानी है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण (है0)	धनराशि (प्रति है0)	कुल धनराशि (देय धनराशि)
5.46	2,53,332.00	13,83,193.00

2 शर्त सं0-02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 17,93,610.00 (रू सत्रह लाख तिरानवें हजार छः सौ दस) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख में) कॉलम
V	0.2 (Open forest)	6,57,000.00	2.73	17,93,610.00

3 शर्त सं0-03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

4 शर्त सं0 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व शर्त 02 में देय धनराशि का हस्तान्तरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

5 शर्त सं0-05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण एवं उपचार कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों, Central Verge एवं परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्य पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation करने की वचन वद्धता प्रेषित करनी होगी।


6 State Govt. will uploaded and provide original hard copy of revised Digital map of CA.

7 State Govt. will submit hard copy of FRA certificate, Digital map of CA scheme, CA site suitability and part IV & V, in original

8 मलवा निस्तारण एवं वृक्षारोपण हेतु मांग अलग से प्रेषित की जायेगी।

अतः आप मांग पत्र को ऑनलाईन अपलोड कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून द्वारा सत्यापित होकर चालान जनरेट होने पर शर्त 01 व शर्त 02 की देय धनराशि उक्त चालान के माध्यम से जमा करते हुए तथा अन्य शर्तों के अनुपालन की वचनवद्धता से सम्बन्धित अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन-लाईन अपलोड करने का कष्ट करें। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सकें।

भवदीय,


उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर,

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

ग्राम्य विपन्नता विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण

प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय,

आई०टी० मार्ग के सामने, सहस्त्रवास रोड, देहरादून

दूरभाष :- 0135-2608126 फैक्स :- 2608126

ई-मेल :- urrda@yahoo.com

पत्रांक ८०३१ /आई-3-20/यू0आर0आर0डी0ए0/12 दिनांक 12 मार्च 2018

राज्य में

शाखा प्रबन्धक,
ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
रेसकोर्स, देहरादून।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपकी शाखा में संचालित राज्य मद खाता सं० 15262011001939 से Corporation Bank FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jellita Tower mission road Bangalore 560027 के खाता सं०-15089 6110762560 में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

मस्यूर

उपरोक्त विषयक निम्न सूची के अनुसार चैक सं०-491951 दिनांक 09.03.2018 धनराशि ₹0 31,76,803.00 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इसका भुगतान RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarakhand SB/Ac No 15089 6110762560 Corporation Bank FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jellita Tower mission road Bangalore 560027 में चाहान द्वारा जमा करने का कष्ट करें। RTGS से उचित धनराशि जमा के विवरण निम्नानुसार है।

Name:- Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarakhand

Name of Bank:- Corporation Bank

Address:- FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jellita Tower mission road Bangalore 560027

IFC Code:- CORP0000633

A/C No:- 15089 6110762560

क्र सं	प्रस्ताव का नाम	जगपद	देय धनराशि				
			हाथिपूरक वृक्षारोपण	एन०पी०पी०	गर्म के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	मलवा निस्तारण	योग
1	दूमीघाट गेहलचौरी तहसीलावाण मोटर मार्ग	चमोली	13,83,193.00	17,93,610.00			31,76,803.00
Totals							31,76,803.00

संलग्नक-उक्त चैक

अधिसारी अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून
- अधिसारी अभियन्ता, पी०आई०यू० पी०एन०जी०एस०वाई० ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कर्णप्रसाग।

09/03/18
अधिसारी अभियन्ता
यू०आर०आर०डी०ए०
6110762560

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 23-02-2018	
Agency Name.	RES PMGSY KARANPERAYAG
Application No.	6110762560
Location.	UTTARANCHAL
Address.	KaranprayagChamoli
Amount(in Rs)	3176803/-
Amount in Words :Thirty-One Lakh Seventy-Six Thousand Eight Hundred and Three Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150896110762560
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 23-02-2018	
Agency Name.	RES PMGSY KARANPERAYAG
Application No.	6110762560
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Karanprayag Chamoli
Amount(in Rs)	3176803/-
Amount in Words :Thirty-One Lakh Seventy-Six Thousand Eight Hundred and Three Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150896110762560
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि बुंगीधार मेहलचौरी बछुवाबाण मोटर मार्ग किमी 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सडक किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation कर लिया जायेगा



अधिसूचिता अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/४०/२०१६/एफ०सी०/१७३९

दिनांक: 22/01/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बी०एम०बी० (बूंगीधार मेहलचौरी बछुवाबाण) मोटर मार्ग के कि०मी० 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.73 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 259/X-4-16/1(83)/2016 दिनांक 30.03.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/10762/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बी०एम०बी० (बूंगीधार मेहलचौरी बछुवाबाण) मोटर मार्ग के कि०मी० 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.73 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.46 है० ग्राम-खिनसर सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will upload and provide original hard copy of revised digital map of CA.
7. State Govt. will submit hard copy of FRA certificate, digital map of CA, CA scheme, CA site suitability and Part IV & V, in original.

जयलक्ष्मी
22/1/18

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:—

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.46 है० ग्राम—खिनसर सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 137 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया
 24/11/18
 (कमल प्रीत)
 वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

/
 (कमल प्रीत)
 वन संरक्षक

Sno.	Sought by Forest Department		against Essential Details Sought		with
1	The correction have been made as per the instruction received	17 Aug 2021		RES PMGSY KARANPERAYAG	Query Related with Additional Info. sought by 'Nodal Officer'
2	The correction have been made as per the instruction received	02 Mar 2024		RES PMGSY KARANPERAYAG	Query Related with Additional Info. sought by 'Nodal Officer'

Query Sno.	Essential Details Sought by Forest Department	Sought on(Date)	Uploaded copy of Essential Details Sought letter	Query From	Query Related with
1	state govt may attend the following short comings as per the attachment here	08 Nov 2020	111181248128110762.pdf	Nodal Officer	Query Related with Additional Info. sought by 'Nodal Officer'
2	• please submit hard copy of the compliance for EDS raised by reginal office on dated 21-10-20 to nodal office for perusing proposal to RO office.	01 Sep 2021		Nodal Officer	Query Related with Additional Info. sought by 'Nodal Officer'
3	• please submit hard copy of the compliance for EDS raised by reginal office on dated 21-10-20 to nodal office for perusing proposal to RO office.	06 Apr 2024		Nodal Officer	Query Related with Additional Info. sought by 'Nodal Officer'

